(11)

(34)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
अधिसूचना

सं०–01/स्था० राज०–331/2025– /पटना, दिनांक– अगस्त, 2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्तें) नियमावली–2016" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** –(1) यह नियमावली "बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली–2025" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2016 के नियम–8 का संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम–8 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

" **8 शैक्षणिक योग्यता**– संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान /केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(बी० कार्तिकेय धनजी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० राज०–331/2025– /पटना, दिनांक– अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० राज०–331/2025– /पटना, दिनांक– अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० राज०–331/2025– /पटना, दिनांक– अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–10987 दिनांक–17.06.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

कृ०पृ०उ०

(37)

ज्ञापांक–01/स्था० राज०–331/2025–   /पटना, दिनांक–   अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुलिपिक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी सहायक ईखायुक्त/सभी ईख पदाधिकारी एवं विशेष ईख पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० राज०–331/2025–1217 /पटना, दिनांक– 14 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।